न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपील/डिक्री/टीए/4208/2006/पाली

रामचन्द्र पुत्र मूलाराम जी जाति माली निवासी चांदपोल दरवाजा के अन्दर सोजत तहसील सोजत जिला पाली।

....अपीलार्थी

बनाम

1- नारायण पुत्र पन्नाजी

2- सम्पतराज) पिसरान नारायण जी

3- बाबूलाल)

4- कैलाश)

समस्त जाति माली निवासी सोजत तहसील सोजत जिला पाली।

5- राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, सोजत जिला पाली।

....प्रत्यर्थीगण

खण्डपीठ
श्री शिखर अग्रवाल, सदस्य
श्री मोडूदान देथा, सदस्य

उपस्थितः-
श्री योगेन्द्र सिंह, अधिवक्ता अपीलार्थी।
श्री ओ0एल0दवे, अधिवक्ता प्रत्यर्थी।
--

निर्णय

दिनांक09-12-19

यह द्वितीय अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (संक्षेप में अधिनियम) की धारा 224 के अन्तर्गत

राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली ने अपील सं0 21/2004 में पारित किए गए निर्णय व डिक्री दिनांक 29-05-2006 के विरूद्ध मण्डल में प्रस्तुत की गई है।

2- संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रत्यर्थी सं0 1 ने एक वाद अधिनियम की धारा 53 के अन्तर्गत अपीलार्थी व राज्य सरकार के विरूद्ध उप जिला कलक्टर सोजत में न्यायालय में मौजा बासनी मीठा तहसील सोजत में स्थित विवादित आराजी बाबत् पेश किया। उक्त वाद को उप जिला कलक्टर, सोजत ने दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया। अपीलार्थी/प्रतिवादी ने जवाब पेश कर वाद के कथनों से इन्कार किया। बाद साक्ष्य व सुनवाई विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सोजत ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 05-04-99 द्वारा प्रत्यर्थी सं0 1/वादी का वाद अस्वीकार कर दिया। उक्त निर्णय व डिक्री के विरूद्ध प्रथम अअपील राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली के न्यायालय में पेश की गई, जिसे उन्होंने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 26-04-2003 के द्वारा वादी की अपील को स्वीकार कर विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री को निरस्त कर प्रकरण पुनः निर्णय हेतु विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया गया। ततत्पश्चात् विचारण न्यायालय ने प्रकरण रिमाण्ड होकर प्राप्त होने पर अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 26-05-2004 द्वारा वादी के वाद को आंशिक स्वीकार कर प्राथमिक डिक्री जारी की। उक्त निर्णय व डिक्री के विरूद्ध प्रथम अपील राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली के न्यायालय में पेश की गई, जिसे उन्होंने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 29-05-2006 द्वारा अपील को अस्वीकार कर दिया। उक्त निर्णय व डिक्री से अप्रसन्न होकर यह द्वितीय अपील मण्डल में पेश की गई है।

3- हमने योग्य अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया।

4– योग्य अधिवक्ता अपीलार्थी ने द्वितीय अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए तर्क दिया कि विचारण न्यायालय ने दावे व जवाबदावे के आधार पर आवश्यक तनकियात कायम नहीं कर केवल एक तनकी कायम की गई व तनकी जो कायम की गई वह वादी के विरूद्ध निर्णित करने के बराद भी दावा अंशत डिक्री कर विधि विरूद्ध निर्णित पारित किया, जिसे प्रथम अपीलीय न्यायालय ने भी यथावत रखने में विधिक त्रुटि की। उनका तर्क था कि विचारण न्यायालय प्राथमिक डिक्री के अनुसार केवल पक्षकार के मध्य विवादित आराजी के हिस्से का ही निर्धारण कर सकते थे किन्तु विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी के हिस्से की भूमि का निर्धारण नहीं किया। वादी अपने आपको विवादित आराजी पर 2/3 हिस्से का खातेदार सिद्ध नहीं कर पाया। वादी एवं प्रतिवादी साबित खसरा नं0 106 के क्रेता होने से एवं वादी को प्रतिवादी द्वारा खसरा सं0 106 का अधिक भाग क्रय करने के बाबत् वादी को सिद्ध करना था कि खसरा नं0 205में कौनसा भाग सम्मिलित किया गया, जिससे वो भूमि का खातेदार हो गया, इसके सिद्ध किए बिना दोनों अधीनस्थ न्यायालयों वादी का वाद बाबत् विभाजन डिक्री नहीं कर सकते थे। किन्तु उन्होंने वादी द्वारा वाद सिद्ध नहीं किए जाने के बावजूद भी दावा डिक्री किया, जो विधिक दृष्टि से उचित नहीं होने के कारण दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय व डिक्री निरस्त किए जाने योग्य है। उनका यह भी तर्क था कि दोनों अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का सही रूप से विवेचन एवं विश्लेषण नहीं किया। उनका यह भी तर्क था कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री धारा 2 (2) एवं धारा 2(9) जा0 दी0 व आदेश 20 नियम 4 (2) जा0 दी0 के अनुसार नही है तथा राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा पारित निर्णय व डिक्री आदेश 41 नियम 31 सी0पी0सी0 के

प्रावधानों के विपरीत है। अन्त में उन्होंने निवेदन किया कि दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय व डिक्री न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत है, अतः द्वितीय अपील स्वीकार कर दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय व डिक्री निरस्त किए जावें।

5- योग्य अधिवक्ता प्रत्यर्थी ने तर्क दिया कि रामचन्द्र ने जवाबदावे में स्वीकार किया है कि खसरा नं0 205 के बंटवारे का दावा है। बासनी मूथा का खसरा नं0 205 रकबा 3.62 हैक्टेयर का 2/3 हिस्सा प्रत्यर्थी ने खरीदा है तथा 1/3 हिस्सा प्रतिवादी ने खरीदा है। दावा के पैरा सं0 1 को अपीलार्थी ने स्वीकार किया है। खसरा सं0 204 के जोड़ में छगन के पड़ौस में प्रत्यर्थी/वादी का 2/3 हिस्सा पर काबिज होना स्वीकार किया व खसरा नं0 209 के पास दक्षिण दिशा में 1/3 हिस्से पर अपीलार्थी ने अपना कब्जा स्वीकार किया है, जिस पर मेहन्दी की फसल खड़ी होना बताया है। अपीलार्थी/प्रतिवादी ने स्वीकार किया है कि जहां वादी का 2/3 हिस्सा है वहां वादी को तथा जहां प्रतिवादी का 1/3 हिस्सा का कब्जा है वहां उसको विभाजन नाप करके दिया जावें। पर्चा लगान 1/3 हिस्सा अपीलार्थी का है तथा 2/3 प्रत्यर्थी का है। विक्रय पत्र के अनुसार रूकमाई ने प्रतिवादी को 10 बीघा भूमि दक्षिणी भाग की तथा बकाया 12 बीघा 15 बिस्वा भूमि वादी को उत्तर के हिस्से की छगनजी माली के पडौस में विक्रय की है, जिसके हिस्से में जो भूमि है, उसे वही जमीन दी जाएगी। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने उक्त स्थिति के परिप्रेक्ष्य में ही अपने निर्णय प्रदान किए है। उनका यह भी तर्क था कि दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने विधिक एवं तथ्यात्मक स्थिति के परिप्रेक्ष्य में उचित एवं विधिसम्मत निर्णय पारित किए है, जिनमें द्वितीय अपील के स्तर पर हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है। उनका यह भी तर्क था कि दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय

समवर्ती है। अतः द्वितीय अपील खारिज की जावें। अपने तर्को कें समर्थन में उन्होंने 2018 (1) डी0एन0जे0 राज0 248, 2018 (1) डी0एन0जे0 राज0 356, 1980 आर0आर0डी0 750 व ए0आई0आर0 1987 एस0सी0 पेज 94 के न्यायिक दृष्टांत पेश किए।

6- हमने योग्य अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया।

7- प्रश्नगत प्रकरण में वादी/प्रत्यर्थी द्वारा विभाजन हेतु वाद पेश किया। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने राजस्व अभिलेख में किए गए अंकन के आधार पर वादी एवं प्रतिवादीगण के हिस्सों का निर्धारण किया। योग्य अधिवक्ता अपीलार्थी हमारे समक्ष यह स्पष्ट करने में पूर्णतया असफल रहे है कि अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा हिस्सों के निर्धारण में किस प्रकार त्रुटि की गई है। हमारी सुविचारित राय में दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने राजस्व अभिलेख के आधार पर जो समवर्ती निष्कर्ष अंकित किए है वह पूर्णतया विधिसम्मत है, जिनमें द्वितीय अपील के माध्यम से हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं है। द्वितीय अपील का क्षेत्र सीमित है और इसके माध्यम से अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्षो में उस समय तक हस्तक्षेप किया जाना विधिसम्मत नहीं है जब तक यह निष्कर्ष अभिलेख के विपरीत न हो। इस प्रकरण में ऐसी कोई परिस्थिति अथवा साक्ष्य प्रकट नहीं होती, जिसके आधार पर अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्षो को अभिलेख के विपरीत माना जा सके। अतः द्वितीय अपील को खारिज किया जाना हम उचित समझते है।

8– उपरोक्त विवेचन के परिणाामस्वरूप यह द्वितीय अपील खारिज की जाती है तथा राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 29–05–2006 यथावत रखा जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मोड़ूदान देथा) — सदस्य

(शिखर अग्रवाल) — सदस्य